तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/1/18	वकुलाज उपस्थित। बहस द्वारा RRTA सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस दर्ज मनन किया गया/ प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान को लो० फैसला पारित किया जाकर प्रा० पत्र को तत्फैसला दावा स्थायी (confirm) किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर हस्ता० किया गया। पत्रावली फैसल मुकदमा मूल वाद के शामिल रहे सुनाया। SD/-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/16/2015

वउनवान

1. गैंदा पुत्र दिलसुख जाति माली निवासी सौंखर
2. गोपाल पुत्र दिलसुख जाति माली निवासी सौंखर
3. सन्ता पुत्री दिलसुख पत्नी गंगाविशन जाति माली
4. मिटिया पुत्री दिलसुख पत्नी ख्याली जाति माली
5. मूलो पुत्री दिलसुख पत्नी रामप्रसाद जाति माली

   निवासीयान सौंखर हाल रैणी जिला अलवर
6. धर्मी पुत्र डोडी जाति माली निवासी सौंखर

   तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. मंगतू पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी सौंखर

   तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर

----- गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री सुभाषचन्द 'अर्रुवा'

श्री सत्येन्द्र शर्मा एडवोकेटस – वकील सायलान

श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा एडवोकेट– वकील गैरसायल सं01

आदेश

दिनांक 24.01.2018

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1209, 1212, 1213, 1217, 1220, 1223, 1225, 1229, 1232 ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल संख्या 1 के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायल मौके पर अपने हिस्सेनुसार काविज रहकर काश्त कराते चले आ रहे है। विवादित आराजी में सायल सं0 1 ला05 का 1/6 हिस्सा सायल संख्या 6 का 1/6 हिस्सा तथा गैरसायल संख्या 1 का 4/6 हिस्सा है। गैरसायल विवादित आराजी में शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है। सायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है सायलान ने गैरसायल से

विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायल ने मना कर दिया। गैरसायल सायलान के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है व विना तकसीम कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहता है। अतः सायलान ने विवादित अराजी खसरा नम्बरान 1209, 1212, 1213, 12107, 1220, 1223, 1225, 1229, 1232 ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में सायलान के हिस्सानुसार कब्जे काश्त में रुकावट व मजाहमत पैदा ना करने जवरन वेदचखल कर खुद कब्जा ना करने व रहन वय ना करने वावत गैरसायल को पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। विवादित आराजी अवट ना होकर मौके पर वंटी हुई है। विवादित आराजी का काफी अर्सा पहले सायलान एंव गैरसायल के मध्य आपसी सहमति से मौके पर अपनी अपनी सुविधानुसार कब्जा व मौके के अनुसार तकासमा हो गया था। गैरसायल अपने हक हिस्सा में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। सायलान को विवादित आराजी को अव पुनः वंटवारा कराने का अधिकार नहीं है। गैरसायल ने अपने हिस्सा की आराजी को अच्छे किस्म के खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। गैरसायल विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। जिस पर अलग अलग काश्त होती है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 वाके ग्राम सौंखर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। गैरसायल सायलान के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है जवरन वेदखल करने व रहन वय करने की धमकी देता है। अतः विवादित आराजी में सायलान के हिस्से की आराजी तक गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अधिवक्ता सायलान के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि विवादित आराजी काफी अर्सा पहले की आपसी सहमति

से बंटी हुई है विवादित आराजी पर अलग अलग हिस्सों पर काश्त हो रही है। सायलान को पुनः बंटवारा कराने का अधिकार नहीं है। गैरसायल अपने हक हिस्सा व कब्जे में आई आराजी पर काबिज है। गैरसायल विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार है जिसे रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। सायलान को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में साबित कराना है

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

उक्त विन्दुओं पर हमारा विवेचन निम्न प्रकार से है।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली में संलग्न जवाब दर0 प्रस्तुत जमाबन्दी की छाया प्रति का अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 में विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज है। शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी के सहखातेदार को एक दूसरे सहखातेदार के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करना गैरकानूनी है। विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायल की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायल का शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायल ने सायलान के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो सायलान को अपार हानि व नुकशान होना संभव है। गैरसायल को पाबन्द किये जाने से उसे किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र के तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में साबित हैं। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1209, 1212, 1213, 12107, 1220, 1223, 1225, 1229, 1232 ग्राम सौंखर तहसील कठूमर की रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारान को दावा के अंतिम निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 24.01.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी

उपखण्ड अधिकारी कठूमर